झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कुजरा/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कुड़ू (लोहरदगा)/ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कैरो, लोहरदग/ महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, लोहरदगा

email : principalitilohardaga@gmail.com

नामांकन सूचना

निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 1079 दिनांक 27/10/2021 के अनुपालन में शैक्षणिक सत्र 2021-22-23 में लोहरदगा जिले में अवस्थित सभी **सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों** यथा **कुजरा/कुडू/कैरो/महिला लोहरदगा** में नामांकन हेतु JCECEB के द्वारा 2nd Round Counseling के समाप्ति के उपरान्त बचे रिक्त सीटों पर निम्नांकित व्यवसायों में प्रवेश के निमित्त इच्छुक पुरूष/महिला उम्मीदवारों से अनुसूची– 'क' के अनुरूप हस्तलिखित/टंकित आवेदन पत्र **निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट/हाथोंहाथ** निम्नशर्त्तों के अनुरूप आमंत्रित किया जाता है।

नोट– महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, लोहरदगा में केवल महिला उम्मीदवारों का ही नामांकन लिया जाएगा।

1. **शैक्षणिक योग्यता** – (क) WELDER/PLUMBER/SEWING TECHNOLOGY व्यवसाय के लिए 8वीं परीक्षा का अंक पत्र तथा अन्य सभी व्यवसायों के लिए प्रवेशिका (माध्यमिक/10 वाँ)/समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण । नामांकन प्रवेशिका या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर नामांकन समिति के समक्ष उपस्थित होने के समय उपलब्ध सीटों के आलोक में ओपेन बोर्ड प्रणाली द्वारा मैट्रिक के प्राप्तांक/मेरिट के आधार पर नामांकन नियमानुसार किया जयेगा।
   (ख) 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण अभ्यार्थी 8वीं कक्षा स्तरीय व्यवसायों में भी नामांकन के पात्र होंगे।
2. **आयु अहर्त्ता** :–
   (क)– 01 जुलाई 2021 को न्यूनतम आयु 14 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष के बीच होना चाहिए। व्यवसाय– मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए न्यूनतम आयु 17 वर्ष होना आवश्यक है।
   (ख)– सैन्य कार्रवाई में मारे गये सैन्य कर्मियों के विधवाओं के मामले में अधिकतम आयु 45 वर्ष। आयु के निर्धारण के लिए केवल माध्यमिक/10वाँ समकक्ष परीक्षा के मूल/औपबंधिक प्रमाण–पत्र में अंकित जन्म तिथि ही बैध होगी।
3. **शारीरिक योग्यता** :–
   प्रवेश के लिए अनुशंसित अभ्यार्थियों को नामांकन के समय संस्थान में निबंधित चिकित्सक द्वारा प्रदत्त योग्यता होने का स्वस्थता चिकित्सा प्रमाण–पत्र उपलब्ध करवाना होगा अन्यथा अयोग्य होने की स्थिति में नामांकन नहीं किया जाएगा।
4. प्रवेश करने के समय प्रशिक्षणार्थियों को 500/- (पाँच सौ) रूपये मात्र कौशन मनी (अवधान राशि) के रूप में जमा करना होगा। अगर छात्रों द्वारा संस्थान का कोई सामान खो जाने या सामान को जानबुझ कर तोड़ दिये जाने पर उसकी कीमत कौशन मनी से काट ली जायेगी तथा अन्य उचित कार्रवाई की जायेगी। उत्तीर्ण करने के बाद छात्र एक वर्ष के अन्दर कौशन मनी वापस नहीं लेते हैं तो इसे जब्त कर लिया जायेगा और सरकारी खजाना में जमा कर दिया जायेगा। सरकारी संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति को 20/– प्रति माह तथा अन्य के लिए 40/– प्रति माह शुल्क लिया जायेगा। उम्मीदवारों को लिखित आश्वासन देना होगा कि वे प्रशिक्षण की अवधि में अनुशासन का पालन करेंगे। प्रशिक्षण समाप्त होने के पूर्व प्रशिक्षण कभी भंग नहीं करेंगे।
5. **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/पिछडे वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों को कल्याण विभाग से नियमानुसार छात्रवृत्ति मिल सकती है।**
6. **आरक्षण अहर्त्ता** :–
   (क) आरक्षण का प्रावधान कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प सं0–2020, दिनांक– 09.04.2010 (जिला आरक्षण रोस्टर) एवं ज्ञापांक– 14/आ0नी0–04–02/2019/का0–1434/राँची, दिनांक 15.02.19 का अनुपालन किया जाएगा। साथ ही कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राज भाषा विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्र का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
   (ख) प्रत्येक व्यवसाय में एक–एक सीट क्रमशः दिव्यांग एवं भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए आरक्षित है।

नामांकन हेतु JCECEB के द्वारा 2nd Round Counseling के समाप्ति के उपरान्त बचे रिक्त सीटों की संख्या निम्नलिखित है –

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कुजरा (लोहरदगा)

Sl	Name of the Trade	NCVT / SCVT	Duration	UR	EWS	ST	SC	BC - I	BC - II	PH	SMQ	Total Seat
				आरक्षण प्रतिशत में जिला रोस्टर के अनुसार।								
				40%	10%	47%	3%	0%	0%	--	--	--
1	इलेक्ट्रीशियन	NCVT	2 Years	0	3	4	0	0	0	1	1	9
2	फिटर	NCVT	2 Years	0	4	6	0	0	0	1	1	12
3	टर्नर	NCVT	2 Years	3	2	8	1	0	0	1	1	16
4	मैशिनिष्ट	NCVT	2 Years	1	2	8	1	0	0	1	1	14
5	मैकेनिक मोटर व्हीकल	NCVT	2 Years	5	2	10	1	0	0	1	1	20
6	इलेक्ट्रोनिक्स मैकेनिक	NCVT	2 Years	5	2	10	1	0	0	1	1	20
7	मैकेनिक डीजल	NCVT	1 Year	9	2	10	1	0	0	1	1	24

8	वेल्डर	NCVT	1 Year	7	2	8	1	0	0	1	1	20
9	प्लम्बर	NCVT	1 Year	9	2	10	1	0	0	1	1	24
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कुडू (लोहरदगा)												
1	इलेक्ट्रीशियन	NCVT	2 Years	0	3	3	0	0	0	1	1	8
2	फिटर	NCVT	2 Years	0	4	5	0	0	0	0	1	10
3	मैकेनिक डीजल	NCVT	1 Year	18	5	22	1	0	0	1	1	48
4	वेल्डर	NCVT	1 Year	15	4	18	1	0	0	1	1	40
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कैरो, लोहरदगा												
1	फिटर	SCVT	2 Years	7	2	8	1	0	0	1	1	20
2	मैकेनिक डीजल	SCVT	1 Year	18	5	22	1	0	0	1	1	48
महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, लोहरदगा (केवल महिला उम्मीदवरों के लिए)												
1	इलेक्ट्रोनिक्स मैकेनिक	NCVT	2 Years	8	2	10	1	0	0	1	1	23
2	स्वींग टेक्नोलोजी	NCVT	1 Year	7	2	8	1	0	0	1	1	20

7. **आवासीय अहर्त्ता** :– औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कुजरा/कुडू/कैरो/महिला लोहरदगा में वे ही उम्मीदवार नामांकन ले सकते हैं जो झारखण्ड राज्य के निवासी हैं या स्थानीय निवासी के श्रेणी में आते हैं। झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के ज्ञापांक–07/आ0नीति (सर्वदलीय बैठक)27/2002 (खण्ड) का0–3198/राँची, दिनांक 18.04.2016 में स्थानीय निवासी को परिभाषित किया गया है। उम्मीदवारों को अपने दावे के समर्थन में सक्षम पदाधिकारी (अंचलाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी/उपायुक्त) द्वारा निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र की मूल प्रति नामांकन समिति के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

8. **जाति आधारित अहर्त्ता** :– नामांकन में झारखण्ड सरकार द्वारा लागू अद्यतन आरक्षण नीति का पालन किया जायेगा। आरक्षित सीटों पर दावा करने वाले उम्मीदवारों को सक्षम पदाधिकारी (अंचलाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी/उपायुक्त) द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र की मूल प्रति नामांकन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

9. झारखण्ड राज्य के अंचल अधिकारी (Circle Officer) या अनुमण्डल पदाधिकारी (असैनिक) [Sub-Division Officer (Civil)] या उपायुक्त (Deputy Commissioner) द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत आय एवं सम्पति प्रमाण–पत्र **(EWS कोटि के अन्तर्गत आरक्षण का लाभ लेने हेतु)**।

10. **अनुलग्नक** :– (क) प्रवेशिका अंक पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति, (ख) कंडिका 7 में वर्णित अद्यतन आवासीय प्रमाण–पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति, (ग) आयु के निर्धारण के लिए केवल माध्यमिक/10वाँ समकक्ष परीक्षा के मूल/औपबंधिक प्रमाण–पत्र, (घ) जाति प्रमाण–पत्र की अद्यतन स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति, (च) सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण–पत्र (दिव्यांग कोटि के लिये) की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति, (छ) जिला सैनिक परिशद् द्वारा निर्गत आश्रित प्रमाण–पत्र (भूतपूर्व सैनिक कोटि के लिए) की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति ।

11. **आवेदन प्रपत्र लोहरदगा जिले में अवस्थित संस्थानों के लिए किसी भी संस्थान में निबंधित/स्पीड पोस्ट/हाथों–हाथ जमा किया जा सकता है। संस्थानों का पता निम्नवत है–**

12. **क) प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कुजरा (लोहरदगा), पोस्ट– कुजरा, जिला– लोहरदगा (झारखण्ड), पिन नं0– 835302**
ख) प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कुडू (लोहरदगा), पोस्ट– कुडू, जिला– लोहरदगा (झारखण्ड), पिन नं0– 835213
ग) प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, लोहरदगा, महावीर चौक, अपर बाजार, पोस्ट+जिला– लोहरदगा (झारखण्ड), पिन नं0– 835302

13. **आवेदन प्रपत्र जिला नियोजनालय, लोहरदगा/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कुजरा (लोहरदगा)/ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कुडू (लोहरदगा)/ महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, लोहरदगा से प्राप्त किया** जा सकता है या मो0 नं0 9931102722/ 9973827531/9934033827 से सम्पर्क कर व्हाट्सअप पर मंगाया जा सकता है।

14. **आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि व समय– 12/11/2021** संध्या **5:00** बजे तक मान्य होंगा। इसके पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जाएगा। मेधा सूची औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के सूचना पट पर विस्तारित कर जायेगा।

15. **नामांकन के लिए आवेदन किये सभी अभ्यार्थी साक्षात्कार के लिए दिनांक 14.11.2021 को 10:00 बजे पूर्वाह्न में जिला नियोजनालय, लोहरदगा में उपरोक्त वर्णित सभी मूल कागजातों तथा छाया प्रति के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें।**

संपर्क:– **औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कैरो, लोहरदगा के लिए भी उपरोक्त पतों पर ही आवेदन करें। सीटों की संख्या घट बढ़ सकती है।**

जिला नियोजन पदाधिकारी, लोहरदगा

–सह–

प्राचार्य

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कुजरा/कुडू/कैरो (लोहरदगा)
/महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, लोहरदगा।

अनुसूची "क"

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कुजरा/कुडू/कैरो/महिला लोहरदगा में प्रवेश करने हेतु आवेदन पत्र

आवेदक अपना पूर्ण हस्ताक्षर युक्त पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो चिपकाये।

1. उम्मीदवार का नाम (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में) :–..........
   (हिन्दी में):–..........
2. (क) पिता का नाम :–..........
   (ख) अभिभावक का नाम :–..........
3. पिता/अभिभावक का पेशा :–..........
4. उम्मीदवार का पूरा पता :–..........
   (क) स्थायी पता :–..........
   (ख) थाना :–.......... गृहजिला .... पिन नं0 ....
   (ग) पत्राचार का पता :–..........
   .... मोबाईल/व्हाटस्उप नं0:– ....
   (घ) उम्मीदवार का आधार नम्बर :– ....
5. उम्मीदवार का निकटतम रेलवे स्टेशन :–..........
6. जन्म तिथि (प्रमाण–पत्र अभिप्रमाणित प्रति के साथ):–..........
7. दिनांक 1 जुलाई 2020 को आयु ....
8. शैक्षणिक योग्यता :–

कृपया 8वां/मैट्रिक/प्रवेशिका से लेकर सभी उच्चतर परीक्षाओं का विवरण दें :–

क्र0 सं0	परीक्षा का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	विद्यालय/महाविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष (वार्षिक/पूरक)	श्रेणी	प्राप्तांक	कुल अंक	परीक्षा के विषय	अभ्युक्ति
1									
2									
3									

नोटः– आवेदक सभी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण–पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रतियाँ संलग्न करें।

9. क्या उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के सदस्य हैं ?
   :–..........
10. क्या उम्मीदवार भुतपूर्व सैनिक या उनके आश्रित हैं ? ....
11. क्या उम्मीदवार दिव्यांग हैं ? ....
12. पिता/अभिभावक की वार्षिक आय और परिवार के वयस्क एवं नाबालिग दोनों की अलग–अलग संख्या
    :–..........
13. अनुलग्नक की विवरणी :– 1).......... 2)..........
    3).......... 4).......... 5)..........
    .... 6).......... 7) ....

मै .... पिता का नाम ....
प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरे द्वारा भरी गई है एवं सत्य है।

आवेदन देने की तिथि

आवेदक का हस्ताक्षर

नोटः– (1) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग /भूतपूर्व सैनिक या उनके आश्रित एवं वीरगति प्राप्त सैनिक के आश्रितों को अंचल पदाधिकारी/जिला उपायुक्त/जिला सोल्जर्स बोर्ड (जो संबंधित प्रमाण–पत्र देने के लिए सक्षम हो) से उक्त वर्ग के होने का प्रमाण–पत्र अभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

(2) दिव्यांगों को अपना आवेदन पत्र देते समय एक फुल साईज का फोटो देना होगा तथा जिला अस्पताल के ऑर्थो–पेडिक्स के विभागाध्यक्ष/जिला के असैनिक भाल्य चिकित्सा (Civil Surgeon) द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र भी संलग्न करना होगा। दूसरे किसी चिकित्सकों के प्रमाण–पत्र की मान्यता नहीं दी जायेगी।

(3) मोबाईल नं0 अपना ही दें अभिभवक का नहीं सथा ही नामांकन के पश्चात प्रशिक्षण अवधि तक मोबाईल नं0 न बदलें।